

कार्यालय आदेश

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 26.12.2016 के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित आवासीय भूखण्डों हेतु प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सर्विसेज यथा जलापूर्ति/सीवर/रैम्प/ड्रेन आदि के कनेक्शन चार्ज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

आवासीय भूखण्ड

S. No	Plot Size in Sqm	Water Connection	Sewer Connection	Ramps & Tow Wall	Elect pipe charges	Tel pipe charges	Total
1	120 (15X8)	1712.00	9707.00	25239.00	5800.00	4735.00	47193.00
2	162 (18X9)	1712.00	9707.00	26984.00	5800.00	4735.00	48938.00
3	200 (20X10)	1712.00	9707.00	28729.00	5800.00	4735.00	50683.00
4	300 (25X12)	1712.00	9707.00	32219.00	5800.00	4735.00	54173.00
5	500 (30X16.66)	1712.00	9707.00	40350.00	5800.00	4735.00	62304.00
6	1000 (50X20)	1712.00	9707.00	46178.00	5800.00	4735.00	68132.00
7	2000 (62.50X32)	1712.00	9707.00	67117.00	5800.00	4735.00	89071.00
8	4000 (100X40)	1712.00	9707.00	81076.00	5800.00	4735.00	103030.00

उपरोक्त समस्त श्रेणियों के भूखण्डों के क्षेत्रफल में ± 10 प्रतिशत वेरीयेशन तक आवंटन के क्षेत्रफल की श्रेणी की निर्धारित दरों को लागू मानी जायेगी। इससे अधिक वेरीयेशन आने पर ऊपर या नीचे की श्रेणी की दरें मानी जायेगी। सीवर के लिए एक से अधिक कनेक्शन लेने पर तदनुसार अतिरिक्त चार्ज देय होगा। जलापूर्ति हेतु केवल एक ही कनेक्शन दिया जाएगा।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

(ए०के० अरोडा)

उप महाप्रबन्धक (परियोजना)

प्रतिलिपि :-

- निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, महोदय के अवलोकनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन)।
- विशेषकार्याधिकारी (एच)।
- सहायक विधि अधिकारी।
- वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल-1/2/3/4/उद्यान/सम्पत्ति/एसेट)।



उप महाप्रबन्धक (परियोजना)